Phone & Fax 0135-2658294, E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in

कार्यालय–वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः–466 /12-1 दिनांक 29 अगस्त, 2024।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल- बरसूडी के (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.500) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.252 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या- (FP/UK/ROAD/145560/2021)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी0/यू0सी0बी0/06/63/2022/एफ0सी0/1104 दिनांक 19.02.2024. एवं आपका पत्रांक- 1885/12-1 दिनांक 29.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अधीन द्वारीखाल- बरसूडी मोटर मार्ग (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.500) के निर्माण हेतु 0.252 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा अपने पत्रांक- 562/12-1 दिनांक- 14.08.2024 से संलग्नों सहित निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी हैः-

क0सं0	सैधान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्ते	बिन्दुवार अनुपालन आख्या
1	प्रतिपूरक वनीकरणः	
क	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 504 पौधों का रोपण कार्य जाएगा एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ C.A rate for 0.504 ha Area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	शर्त मान्य है एवं निर्धारित धनराशि का बैंक चालान संलग्न है। संलग्न-1 प्राप्ति सं0 1152 पत्रावली 12-1 दिनांक 27/08/2024
ख	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंन्ट क्षेत्र और डबलू0एल0एस0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
2	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002 , 01.08.2003, 5-2 /2006-एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007- एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.252 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। एन0पी0वी0 की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है, चालान संलग्न है। बिन्दु-1 के अनुसार
ख	विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र/ बचनबद्धता प्रमाण पत्र' संलग्न है। संलग्न-2
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं जोकि प्रस्ताव के अनुसार 24 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयेक्ता अभिकरण द्वारा पेड़ों की कटाई की लागत रूपये- 29560.00 चैक संख्या- 001541 दिनांक 09.07.2024 के द्वारा जमा किये गये है। संलग्न-3
4	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर वन/सिविल सोयम भूमि को चरण-II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।	उक्त प्रकरण में हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि 1.00 हे0 से कम होने के कारण प्रतिपूरक वनीकरण योजना लागू नहीं है।
5	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर-वन/सिविल भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित	-उपरोक्तानुसार-

	किया जायेगा। उक्त अधिसूचना चरण-II/अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	
6	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार सलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा। इस संबध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-4
7	गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति संलग्नक है। संलग्न-5
8	राज्य वन विभाग रैखिक (Linear) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देंगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-6
9	यदि राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में चरण-II के अनुमोदन से पूर्व कार्य अनुमति जारी करता है तो उक्त अनुमोदन की प्रति अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	आदेश की प्रति संलग्न है। संलग्न-7
10	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र पूर्व में मूल प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया गया है। छायाप्रति संलग्न है। (संलग्न-8)
11	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/ जमा किए जाएंगे।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-9
12	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा। संलग्न-10
(1)	वन भूमि की विविध परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-11
(2)	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-12
(3)	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शमिल किए जा सकते है।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-13
(4)	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-14
(5)	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-15
(6)	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 2023 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
(7)	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
(8)	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-16
(9)	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-17
(10)	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-18
(11)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-19

12)	सम्बन्धित वन मंण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-20
13	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनों ओर Central Verge पर Strip Plantation करेगी।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-21
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सडक के किनारे स्पीड रैग्युलेटिंग साइनेज बनाया जायेगा।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-22
15	प्रयोक्ता अभिकरण जहां भी लागू हों, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर एवं ओवर पास प्रदान करेंगी।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-23
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-24
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदिष्टी प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-25
18	केन्द्र सरकार की पूर्णानुमति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-26
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागु होगी।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-27
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण मे तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-28
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-29
22	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-30
23	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं एफ0सी0ए0 नियम 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाई की जाएगी।	शर्त मान्य है एवं प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-31

उपरोक्त शर्तो की अुनपालन अख्या 02 प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति प्रदान करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर विचार करना चाहें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
षिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक- 466/12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार को उनके उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
षिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।